मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–210/2024

1. जाकिर हुसैन पुत्र शाहबान अली जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

बनाम

1. वजीरा बेगम पत्नी रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शाहबान अली पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. शरीफा बेगम पत्नी शहबान अली जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. समून अली पुत्र रफीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. शहनाज बेगम पुत्री शहबान अली पत्नी मो. इकबाल जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. शमशाद बेगम पुत्री रफीक मोहम्मद पत्नी गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी ढाणी वास मोलवी डबली राठान तहसील डबली राठान जिला हनुमानगढ़।
7. प्रवीण बेगम पुत्री शाहबान अली पत्नी शकूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– –प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री दिनांक :– 27.08.2024

वादी की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित रफीक मोहम्मद के नाम से चक नम्बर 11 सी.डी.आर जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 खाता संख्या 132/111 में 3.2890 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के खाता संख्या 132/111 में से रफीक मोहम्मद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--	योग	--
योग	--		

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner